न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी श्री चिम्मनलाल मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

<u>उनवान गोपी बनाम गंगासहाय बगै</u>

वाद संख्या–49 / 2014

दिनांक निर्णय–16.11.2017

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामि वादी गोपी पुत्र ओंकारनाथ जाति जोगी निवासी ढाणी चौलालान धनावड तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 09.04.2014 को वादी पक्ष द्वारा पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार भूमि खाता संख्या नया 9 पुराना 8 ख0 नं0 3089 रकबा 0.1100 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3090 रकबा 0.0500 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3091 रकबा 0.0400 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3092 रकबा 0.0400 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3093 रकबा 0.0400 है0 गै0 मु0 रास्ता, ख0 नं0 3094 रकबा 0.0600 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3095 रकबा 0.1100 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3096 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3097 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3104 रकबा 0.2000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3105 रकबा 0. 2000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3106 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3107 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3108 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3109 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3110 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3111 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3112 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3113 रकबा 0.1000 है0 बारानी 2, ख0 नं0 3139 रकबा 0.1100 है0 चाही व जाव 2, ख0 नं0 3140 रकबा 0.1000 है0 चाही व जाव 2, ख0 नं0 3141 रकबा 0.0200 है0 गै0 मु0 आबादी, ख0 नं0 3142 रकबा 0. 1000 है0 चाही व जाव 2, ख0 नं0 3143 रकबा 0.0100 है0 चाही व जाव 2, ख0 नं0 3144 रकबा 0.0200 है0 जाव 2, ख0 नं0 3145 रकबा 0.1500 है0 चाही व जाव 2, कुल किता 26 कुल रकबा 2.35 है0 वार्षिक लगानी 30.12 रूपयें स्थित वाके रामा मौजा ढाणी चौलालान धनावड तह0 बसवा जिला दौसा वादी एवम प्रतिवादीगण नं0 1 ला0 10 की सहखातेदारी की

16/11/17
उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

भूमि है जिसमें वादी का 1/12 वां हिस्सा है जो दर्ज जमाबंदी है। वादी अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है नकल जमाबंदी व नक्शा संलग्न वाद पत्र हैं।

पक्षकारान ने आपसी मनसमाई से घरू तौर पर काश्त की सुविधा के लिये हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है परन्तु सरस नरसानुसार भूमि उपरोक्त का आज दिन तक विधि अनुसार मीट एण्ड बाउण्डस के अनुसार तकास्मा नही हुआ है वादी व प्रतिवादीगण नं0 1 से 5 ने अ पने अपने हिस्सों. में आयी भूमि ख0 नं0 3141 व 3142 में तीन पुख्ता रिहायशी मकान लगभग पच्चीस तीस वर्ष पूर्व से बना रखे है जिसमें वे रिहायश करत चले आ रहे है।

प्रतिवादीगण नं0 1 से 3 भूमि उपरोक्त का विधिवत बंटवारा नही होने के कारण आये दिन अकारण विवादकर झगडा करने पर उतारू हो जाते है तथा ऐलानियां धमकी देते है की हमारे हिस्सों के खेतों में होकर वादी को आने जाने नही देगे न ही कोई साधन काश्त बोने व सामान लाने ले जाने नही देगें। जबकि सभी के खेत एक दूसरे के खेतो से लगे हुये है और परम्परागत रूप से सभी काश्ताकर काश्त की जरूरत के लिये एक दूसरे के खेतो में होकर आते जाते है। प्रतिवादीगण दुर्भावना पूर्व ताकत के बल पर वादी को हैरान व परेशान करते है वादी ने प्रतिवादीगण नं0 1 ला0 3 से अनेको बार निवेदन किया है की जमीन का विधिवत तकास्मा करवालो तो ये लोग हरबार टालम टोल कर देते है। जिसके कारण पक्षकारान के बीच अकारण विवाद होते रहते है। इस कारण भूमि विवादित का विधिवत तकास्मा सरस नरसानुसार मीट एण्ड बाउण्डस के तकास्मा करवाया जाना जरूरी हैं।

भूमि खाता संख्या नया 9 पुराना 8 के अराजी ख0 नं0 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145 कुल किता 26 कुल रकबा 2.35 है0 स्थित वाके ढाणी चौलालान पटवार हल्का धनवाड तहसील बसवा जिला दौसा में स्थित वादी का हिस्सा 1/12 का विधिवत सरस नरसानुसार रास्ते की सुविधा सहित मीट एण्ड बाउण्डस के अनुसार तकासमा किया जाकर अलग अलग खाता कायम किया जावें।

प्रतिवादीगण को दवामि निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की भूमि विवादित को किसी दीगर सख्स को रहन बय रहन करने, पुख्ता निर्माण करने, पेडो को

21/11/12

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

काटने, छांगने से, आने जाने साधन लाने ले जाने, तथा वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत करने से प्रतिबंधित रहें।

पत्रावली दिनांक 11.04.2016 को न्यायालय में पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हुए। वकील प्रतिवादी सं0 1 ला0 3 द्वारा दावे में पैरवी करने से मना किया गया तथा शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई आक्षेप प्राथमिक डिक्री जारी करने पर नही किया गया। वाद पत्र का जावब भी प्रस्तुत नही करना चाहते है। वकील वादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करना चाहा तथा दावे के प्राथमिक डिक्री किये जाने की बहस की।

अतः वकील वादी की सुनवाई एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादी प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार बसवा को आदेश दिये जाते है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त खातेदारी की भूमि ख0 नं0 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145 कुल किता 26 कुल रकबा 2.35 है0 भूमि स्थित वाके रामा मौजा ढाणी चौलालान तह0 बसवा का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा द्वारा निम्न प्रकार कुरेजात प्रस्तुत किये।

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
गंगासहाय गोपी कैलाश सुरजन पि0 ओंकारनाथ हि0 1/3 हि0 ब0 गोकुलनाथ पुत्र श्योनाथ हि0 1/3 मदनलाल नारायणलाल रामस्वरूप पि0 भोलानाथ रमकी देवी पत्नि स्व0 भोलानाथ हि0 1/3 कौम जोगी सा0 देह खातेदार	3089 3090 3091 3093 3141 3143 3144	0.10 0.05 0.04 0.04 0.02 0.01 0.02
	किता 7	0.28 है0
गोपी पि0 ओंकारनाथ जाति जोगी सा0 देह	3111 3140 3142	0.10 0.04 0.03
	किता 3	0.17 है0
गंगासहाय पि0 ओंकारनाथ जाति जोगी सा0 देह	3113 3140 3142	0.10 0.03 0.04
	किता 3	0.17 है0

15/11/17

उप जिला कलेक्टर
बाँदीकुई (दौसा)

कैलाश पि0 ओंकारनाथ जाति जोगी सा0 देह	3140 3139 3142 3145	0.03 0.04 0.03 0.05
	किता 4	0.15 है0
सुरजन पि0 ओंकारनाथ कौम जोगी	3110 3112	0.10 0.10
	किता 2	0.20 है0
गोकुलनाथ पुत्र श्योनाथ कौम जोगी सा0 देह	3092 3094 3095 3106 3107 3108 3109 3139 3145	0.04 0.06 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.03 0.05
	किता 9	0.69 है0
मदनलाल नारायणलाल रामस्वरूप पि0 भोलानाथ रमकी देवी पत्नि स्व0 भोलानाथ जाति जोगी सा0 देह खातेदार	3096 3097 3104 3105 3139 3145	0.10 0.10 0.20 0.20 0.04 0.05
	किता 6	0.69 है0

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। तत्पश्चात कुरेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए पत्रावली में वादी द्वारा कुरेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा वास्ते आदेश पत्रावली रखी गई। दिनांक 16.11.2017 को पत्रावली वास्ते आदेश रखने पर न्यायालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मुताबिक कुरेजात वाद तकास्मा निर्णित करने का निर्णय लिया, इसलिए मुताबिक कुरेजात वाद तकस्मा अंतिम डिग्री किया जाता है। प्रस्ताव में वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

16/11/17

(चिम्मनलाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)